नईदुनिया



संपादकीय

## नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है छत्तीसगढ़

*देश के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों में धीरे-धीरे शांति देखी जाने लगी है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड आदि में अब पहले की तरह नक्सली हमलों में कमी दर्ज हुई है। मगर छत्तीसगढ़ अब भी नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है। उन पर काबू पाने के लिए राज्य और केंद्र के अभियान लगातार चलाए जाते हैं। इसमें अक्सर नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। मगर इससे नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम लगा पाना अब भी चुनौती बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगले साल तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सघन वनों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिए गए हैं। मगर सुरक्षाबलों की कार्रवाई के जवाब में नक्सली भी बड़े हमले करने की साजिशें रचने में कामयाब देखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ ताजा नक्सली हमला इसी का एक उदाहरण है।*

*बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले सुरक्षाबलों के अभियान के जवाब में नक्सलियों ने यह हमला किया। जब दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त दल तलाशी अभियान से वापस लौट रहा था, तब घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उनके वाहन पर हमला कर दिया। इसमें आठ सुरक्षाकर्मी और एक वाहन चालक मारे गए। इस हमले में आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इसकी शक्ति आम विस्फोटकों से कई गुना अधिक होती है। सरकार अक्सर दावा करती है कि नक्सलियों का लगभग सफाया कर दिया गया है और अब वे कुछ सीमित इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। मगर यह समझना मुश्किल है कि इतनी चौकसी के बावजूद नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार और विस्फटोक किस तरह और कहां से पहुंच पा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में सघन जंगल होने की वजह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मुश्किलें आती हैं।*

*उनकी तलाशी और उन पर नजर रखना कठिन है। यही इलाका नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है और सबसे अधिक इसी क्षेत्र में वे सुरक्षाबलों पर हमले करने में कामयाब होते हैं। मगर यह समस्या कोई नई नहीं है। इसके लिए हेलीकाप्टर से टोह लेने की योजना बनी थी। वैसे भी आजकल इतने अत्याधुनिक टोही उपकरण उपलब्ध हैं कि उनसे जंगलों में चल रही गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद अगर नक्सली सुरक्षाबलों की योजनाओं और गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रख पा रहे हैं, विस्फोटक और हथियार हासिल करने में कामयाब हो जा रहे हैं, तो इससे सुरक्षाबलों को अपनी रणनीति में बदलाव की अपेक्षा की जाती है।*

*नक्सलवाद का उभार आदिवासी इलाकों में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए हुआ था, मगर अभी वह जिस रूप में अपनी जड़ें जमा चुका है, वह आतंकी गतिविधियों की शक्ल अख्तियार करता गया है। अब तो उनमें सरकार के साथ बातचीत का रुख भी नजर नहीं आता। अगर उन तक अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है, उनके पास बाहर से वित्तीय मदद भी पहुंच रही है। इन सबके रास्ते सुरक्षाबलों और खुफिया तंत्र की नजर से कैसे ओझल बने हुए हैं, समझ से परे है। नक्सलवाद के खात्मे का भरोसा तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन तक पहुंचने वाली वित्तीय मदद, हथियार, विस्फोटकों और अत्याधुनिक सूचना तकनीक आदि पर अंकुश न लगा ली जाए।*

# मिटाना होगा आत्महत्याओं का कलंक

रमेश सर्राफ धमोरा

भारत में आए दिन आत्महत्या की घटनाएं होती रहती है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में हर चार मिनट में एक आत्महत्या होती है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब किसी न किसी इलाके से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, कर्ज जैसी तमाम आर्थिक तथा अन्य सामाजिक दुश्वारियों से परेशान लोगों के आत्महत्या करने की खबरें न आती हों। आत्महत्या सभ्य समाज के माथे पर कलंक के समान है। आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं को दंडित करते हुए अपनी जान दे देता है। ऐसा कोई व्यक्ति तभी करता है जब वह चारों तरफ से निराश हो जाता है।

आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण आर्थिक पक्ष को माना जाता है। उसके बाद मानसिक, पारिवारिक व अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर व्यक्ति स्वयं को गिरा हुआ महसूस करता है और अंत में वह आत्महत्या करने जैसा घिनौना कदम उठा लेता है। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि परिवारों ने आर्थिक कारणों से सामूहिक आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली। बहुत से किसान खेती का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कानून तो बना दिया मगर उसका प्रभाव समाज पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेम में असफल होने पर भी बड़ी संख्या में नवयुवक-युवतियां आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त करते हैं।

आंकड़ों की दृष्टि से भारत आत्महत्याओं के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर होता जा रहा है। आत्महत्या रोकने की दिशा में अब तक सरकारी स्तर पर जितने भी प्रयास हुए हैं वह सब नाकाफी साबित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों में जितनी आत्महत्या की संख्या दर्शायी जाती है उससे कई गुना अधिक लोग आत्महत्या कर अपनी जान गंवा रहे हैं। मगर आत्महत्या की घटनाओं को रोकने की कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है। खेती के लिए लिया गया कर्ज नहीं चुका पाने के कारण भी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मगर सरकारी बैंकों, साहूकारों के कर्ज से परेशान किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। बैंक आज भी किसानों से जबरदस्ती कर्ज वसूली के लिए उनकी जमीने नीलाम कर रहे हैं। इसी के चलते किसान मजबूर होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं।

भारत में आत्महत्या एक प्रमुख समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 171,000 आत्महत्याएं की गईं थी जो 2021 की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक थी । प्रति एक लाख की जनसंख्या पर आत्महत्या की दर 2022 में बढ़कर 12.4 हो गई जो आंकड़ो के हिसाब से सर्वोच्च थी। 2022 के दौरान आत्महत्याओं में 2018 की तुलना में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और भारत में दुनिया में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुईं। वैश्विक आत्महत्या के मामलों में मौत के भारत के आंकड़े 1990 में 25.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में महिलाओं में 36.6 प्रतिशत और पुरुषों में 18.7 प्रतिशत से बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो गये। 2016 में 15-29 वर्ष और 15-39 वर्ष के आयु समूहों में आत्महत्या मृत्यु का सबसे आम कारण था। दैनिक वेतन भोगी लोग आत्महत्या पीड़ितों का 26 प्रतिशत हिस्सा थे। जो आत्महत्या के आंकड़ों में सबसे बड़ा समूह था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में राज्यों में सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र (22,746) में हुईं। इसके बाद तमिलनाडु में 19,834 और मध्य प्रदेश में 15,386 आत्महत्याएं हुईं। चार राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल को मिलाकर देश में हुयी कुल आत्महत्याओं में से लगभग आधी उक्त प्रदेशों में हुयी थी। नागालैंड में केवल 41 आत्महत्याएं हुईं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 2017 से 2019 के दौरान भारत में लगभग आधी आत्महत्याएं हुयी हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुईं, उसके बाद पुडुचेरी का स्थान रहा। बिहार और पंजाब में 2018 की तुलना में 2019 में आत्महत्याओं के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुयी थी।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच सालों में आत्महत्या की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखता है। 2017 में देश में 1,29,887 आत्महत्याओं की मामले रिकॉर्ड किए गए थे। तब आत्महत्या दर 9.9 प्रतिशत थी। आत्महत्या दर प्रति लाख आबादी पर होने वाली आत्महत्या की घटनाओं को दर्शाता है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति लाख 9.9 आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गईं थी। 2018 में आत्महत्या दर में इजाफा हुआ और ये बढ़ कर 10.2 पर पहुंच गयी थ। तब देश में 1,34,516 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए थे। 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने तो 2020 में ये संख्या बढ़कर 1,53,052 हो गई थी। 2021 में आत्महत्या के 1,64,033 मामले हुये थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि भारत में आत्महत्या की दर विश्व आत्महत्या दर के मुकाबले बढ़ी है। भारत में पिछले दो दशकों की आत्महत्या दर में एक लाख लोगों पर 2.5 फीसद की वृद्धि हुई है। आज भारत में 37.8 फीसद आत्महत्या करने वाले लोग 30 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। दूसरी ओर 44 वर्ष तक के लोगों में आत्महत्या की दर 71 फीसद तक बढ़ी है। 2018 में पारित हुए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत भारत में आत्महत्या के अपराधीकरण का कानून खत्म करते हुए मानसिक बीमरियों से जूझ रहे लोगों को मुफ्त मदद का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून के तहत आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को मदद पहुंचाना, इलाज करवाना और पुनर्वास देना सरकार की जिम्मेदारी होगी।

भारत के साथ-साथ पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ से जूझ रहे लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोई ठोस बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन विश्व के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग आठ लाख लोग आत्महत्या करते हैं। जिनमें से 21 फीसदी आत्महत्याएं भारत में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में सरकारों को सलाह दी गई है कि आत्महत्या का मीडिया ट्रायल नहीं हो। देश में अल्कोहल को लेकर ठोस नीति बनाई जाए। आत्महत्या के संसाधनों पर रोक लगाते हुए आत्महत्या के प्रयास करने वालों की उचित देखभाल की जाए।

आत्महत्या जैसे मामलों को रोकने के लिए समाज के हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को सामने आने की जरूरत है। जिससे ज्यादा-से-ज्यादा लोग इस बात से जागरूक हो सकें और आत्महत्या जैसे मामलों में कमी लाई जा सके। सभी को इस बात को समझने की जरूरत है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिन्दगी में तनाव की स्थिति कभी कम तो कभी ज्यादा बनी रहती है। परंतु इसका समाधान अपनी जिन्दगी को समाप्त कर लेना नहीं हैं। जानबूझकर खुद को मारना आत्महत्या या फेलो डे से के रूप में जाना जाता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 309 आत्महत्या से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी आत्महत्या का प्रयास करेगा और इस तरह के अपराध को अंजाम देगा उसे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि आत्महत्या के मामलों के अध्ययन के बाद सरकार और गैर-सामाजिक संगठनों को मिल कर एक ठोस पहल करनी होगी। इसके लिए जागरुकता अभियान चलाना होगा। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की ठोस रणनीति के बिना देश में बढ़ती आत्महत्यों पर रोक लगाना मुश्किल होगा। सरकार को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आर्थिक-सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की गहराई से पड़ताल करनी चाहिये। साथ ही ऐसे उपाय करे कि लोग अपनी जीवनलीला समाप्त करने का विचार ही दिमाग में न लाए।

# भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत

नजरिया

-डॉ. अनिल कुमार निगम

**यूं तो संपूर्ण देश में अवैध निर्माण एक संगठित अपराध बनकर उभरा है पर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में यह काम धड़ल्ले से चल रहा है। भूमाफिया काम के सिलसिले में देश के अनेक हिस्सों से आने वाले लोगों को मकान और दुकान बेचने के नाम पर ठग रहे हैं और वे भ्रष्ट अधिकारियों से साठगांठ कर सरकार को करोड़ों का चूना भी लगा रहे हैं।**

आज दिल्ली एनसीआर सहित देश के विभिन्न शहरों में अवैध निर्माण और कब्जा बहुत जटिल समस्या बन गई है। विडंबना है कि देश के विभिन्न शहरों में भूमाफिया न केवल सक्रिय बल्कि वे जमीनों पर अवैध कब्जा कर अथवा अवैध तरीके से निर्माण कर जमीन और भवनों को भोलेभाले लोगों को बेच देते हैं। यह सारा काम प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ से किया जाता है और बाद में इन अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए अदालतों में इस आधार पर अपील दायर की जाती है कि निर्माण अत्यधिक पुराना है लिहाजा उसे वैध कर दिया जाए। प्रश्न है कि भूमाफिया और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच इस षडयंत्र के कुचक्र को तोड़ने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं प्रश्न यह भी है कि प्रदेश सरकारें इस कुचक्र पर प्रहार क्यों नहीं करती ऐसे मामलों पर अदालतों को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है कहीं ऐसा तो नहीं कि भूमाफिया के अवैध धंधों को संरक्षण मिला हुआ है

प्रशासनिक देरी, समय बीतने या निवेश के कारण कोई अवैध निर्माण वैध नहीं हो सकता। यह बात देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गत माह 18 दिसंबर को एक फैसले के सिलसिले में यह टिप्पणी भी की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश के विभिन्न नगरों एवं महानगरों में भूमाफिया सक्रिय हैं। वे न केवल अवैध कब्जा करते और निर्माण करते हैं, बल्कि उन जमीनों पर कालोनी काटकर अथवा भवन बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। इन भूमाफियाओं की स्थानीय अधिकारियों एवं नेताओं से इतनी गहरी साठगांठ होती है कि जब वे यह सब करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी और नेता इसकी न केवल अनदेखी करते हैं बल्कि समय बीतने के साथ ही वे अवैध निर्माण को वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं।

यूं तो संपूर्ण देश में अवैध निर्माण एक संगठित अपराध बनकर उभरा है पर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में यह काम धड़ल्ले से चल रहा है। भूमाफिया काम के सिलसिले में देश के अनेक हिस्सों से आने वाले लोगों को मकान और दुकान बेचने के नाम पर ठग रहे हैं और वे भ्रष्ट अधिकारियों से साठगांठ कर सरकार को करोड़ों का चूना भी लगा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर आने वाले गांव, दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के गांवों के आसपास और शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा, जहां पर भूमाफिया ने अवैध निर्माण कर लोगों को ठगा न हो।

मजे की बात यह है कि जब यह अवैध निर्माण चलता है प्राधिकरण अथवा प्रशासन के अधिकारी जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं करते क्योंकि माफिया इसके बदले अधिकारियों की जेबें जमकर गरम करते हैं। आपने सुना होगा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथवा गाजियाबाद प्राधिकरणों के अधिकारियों के घरों पर विजीलेंस, ईडी अथवा आयकर विभाग की टीमें प्राय: छापे मारती हैं और उनके घरों से अकूत संपत्ति भी पकड़ी गई है। नोएडा के कई ऐसे बहुचर्चित अधिकारी सरदार मोहिंद सिंह, रविंद्र यादव, यादव सिंह आदि हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं।

पहले निर्माण और बाद में बुल्डोजर चलाने के मामले में 18 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट को दिशा-निर्देश भी जारी करने पड़े। जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि निर्माण के बाद होने वाले कानूनी उल्लंघनों के खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे निर्माण को गिराने के साथ दोषी अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पीठ ने मेरठ में एक रिहायशी भूमि पर बने अवैध व्यावसायिक निर्माण के ध्वस्तीकरण को सही ठहराते हुए कहा, शहरी योजना से जुड़े कानूनों व अधिकारियों की जिम्मेदारियों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। अवैध निर्माण को नियमित करने वाली योजनाएं केवल असाधारण परिस्थितियों में और विस्तृत सर्वेक्षण के बाद आवासीय घरों के मामले में एक बार के उपाय के रूप में लाई जानी चाहिए। अनधिकृत निर्माण, उसमें रहने वालों और आस-पास रहने वाले नागरिकों के जीवन के लिए खतरा पैदा करने के अलावा, बिजली, भूजल और सड़कों तक पहुंच जैसे संसाधनों पर भी प्रभाव डालते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से व्यवस्थित विकास और अधिकृत गतिविधियों के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। यहां अधिकारियों एवं सरकार के समक्ष अनेक सवाल रख रहा हूं। प्रश्न है कि अवैध कालोनी और फ्लैटों की रजिस्ट्री क्यों और कैसे होती है अगर जमीन और निर्माण अवैध है तो इन भवनों को कंपलीशन सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है बिजली विभाग यहां पर कनेकसन क्यों और कैसे दे दिया जाता है नगर निगम अथवा प्रशासन यहां पानी का कनेक्सन कैसे उपलब्ध करा देता है यह भी देखा गया है कि यह सब होने के बाद स्थानीय नेता यहां रहने वालों के राशनकार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा देते हैं, आखिर इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध कौन लगाएगा

लोगों को अवैध निर्माण से मुक्त कराना है तो प्राधिकरणों और प्रशासन को अवैध निर्माण की निगरानी का सशक्त तंत्र बनाना चाहिए। अगर किसी भी इलाके में अवैध निर्माण हो रहा है तो अधिकारियों को प्रारंभिक स्तर पर ही उसके ढहा देना चाहिए। बावजूद इसके यदि वहां अवैध निर्माण हो गया है तो उस क्षेत्र के अधिकारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ संख्त कदम उठाए जाएं।

आजकल

## सच बोलने पर मिली मौत

**पत्रकार** मुकेश चंद्राकर की हत्या की घटना से एक बार फिर यही साबित हुआ है कि व्यवस्थागत पारदर्शिता और कानून-व्यवस्था के तमाम दावों के बावजूद आज भी अवैध गतिविधियों को उजागर करना और दुनिया को सच बताना जोखिम का काम है। एक कमजोर पृष्ठभूमि वाले परिवार से निकले मुकेश चंद्राकर ने पत्रकारिता का पेशा चुना और कई बार खबरों के लिए जोखिम उठाते थे। मगर उनका यही साहस शायद कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा था।

एक जनवरी की रात से वे लापता थे और बाद में उनका शव एक ठेकेदार के परिसर के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उनकी बहुत बर्बरता से हत्या की गई थी। अब हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक, इस हत्या का संबंध सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार से जुड़ी उस खबर से हो सकता है, जिसमें मुख्य आरोपी ठेकेदार को कठघरे में खड़ा किया गया था। इस प्रकरण से साफ है कि देश में दूरदराज के इलाकों में सच की खोज और उसका खुलासा किस स्तर तक एक जोखिम भरा काम हो चुका है।

सवाल है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति है कि कोई ठेकेदार बिना किसी बाधा के अपनी भ्रष्ट गतिविधियां चलाता है और उसे किसी तरह की कानूनी रोकटोक का सामना नहीं करना पड़ता। यही नहीं, सच के लिए जोखिम उठाने वाले एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। साफ है कि यह एक ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के ढीले-ढाले रवैये का सूचक है, तो दूसरी ओर, राज्य की कानून-व्यवस्था की लाचारगी का भी सबूत कि बर्बरता से पत्रकार की हत्या करने वालों को किसी का खौफ नहीं था।

यह घटना बताती है कि दूरदराज के इलाकों में खबरें निकालने के काम में जुटे पत्रकारों पर हर समय किस स्तर का खतरा मंडराता रहता है। सरकार की लाचारगी और कानून-व्यवस्था के खोखलेपन का आलम यह है कि वह न तो भ्रष्ट और आपराधिक तत्त्वों पर नकेल कस पाती है और न ही उनकी गतिविधियों को दुनिया के सामने लाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया करा पाती है। ऐसे में, सच के सामने पैदा हो रहे जोखिम का अंदाजा लगाया जा सकता है।

# चुनावी शुचिता पर बेजा सवालों के तार्किक जवाब

विकास सक्सेना

दिल्ली विधानसभा के चुनावों की तारीखों के ऐलान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यूँ तो चुनाव कार्यक्रम की जानकारी चंद मिनटों में देकर इस बातचीत को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए उन तमाम सवालों का विस्तार से तार्किक जवाब देने की कोशिश की जिनके माध्यम से देश की चुनाव प्रक्रिया में खोट निकालने के प्रयास कुछ राजनैतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। अपने शायराना अंदाज में मुख्य चुनाव आयुक्त ने परोक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया पर बेजा सवाल उठाने वालों पर निशाना तो साधा ही, यह भी कहा कि देश में जीवंत लोकतंत्र है इसलिए सभी को सवाल पूछने की पूरी आजादी है और हमारा दायित्व है कि हर सवाल का जवाब लोगों को दिया जाए।

पिछले कई चुनावों का एक सामान्य चलन हो गया है कि जब भी चुनाव के नतीजे गैर भाजपा दलों के पक्ष में नहीं आते, तब वे अपनी नाकामी का ठीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम के सिर फोड़ते हैं। लगातार मतदाताओं द्वारा नकारे जाने के बाद कुछ राजनैतिक दल तो अब चुनाव के नतीजे आने से पहले ही ईवीएम का रोना, रोना शुरू कर देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद तो ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर इन विपक्षी दलों के हमले और तीखे हो गए हैं। अब तक ईवीएम में खामी बताकर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने वाले राजनैतिक दलों ने तो इस बार पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही दूषित बताते हुए देश के मतदाताओं में भ्रम डालने का प्रयास किया। उन्होंने मतदाता सूचियों से बड़ी तादाद में नाम काटने या नाम जोड़ने, मतदान बंद होने के बाद मत प्रतिशत बढ़ने और ईवीएम हैकिंग को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए उसने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े पूरे तंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया।

संभवतया मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर आखिरी बार पत्रकारों से बातचीत करने के लिए आए राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के अवसर पर इन तमाम सवालों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया और पत्रकारों को पूरी प्रक्रिया बताई। चुनाव को लेकर हाल फिलहाल सबसे गंभीर सवाल मतदाता सूचियों से किसी दल विशेष के समर्थकों के नाम काटने और किसी दल विशेष से समर्थकों के नाम जोड़ने को लेकर उठ रहे हैं। इसको लेकर सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग हर साल मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य करता है। इसकी सूचना प्रत्येक राजनैतिक दल को दी जाती है। प्रत्येक बूथ पर मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाता है। किसी भी मतदाता का नाम काटने या नाम बढ़ाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। राजनैतिक दल इन बूथों पर अपने अभिकर्ता बना सकते हैं। इसके अलावा इस सबकी सूचना सभी राजनैतिक दलों को नियमित रूप से दी जाती है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग 50 हजार वोट काटे जाने के आरोप लगा रहे हैं, एक साथ किसी क्षेत्र में इतने वोट कम होना अव्यवहारिक है। उन्होंने मतदाता सूचियों में हेरफेर का आरोप लगाने वालों से अपील की कि यदि अगर उन्हें लगता है कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी स्पष्ट शिकायत करें, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। यूं ही आरोप लगाना ठीक नहीं है।

लोकसभा चुनाव के बाद एक खबर काफी चर्चा में रही जिसमें दावा किया जा रहा था कि जिन वोटों की गिनती हुई है उनकी संख्या ईवीएम में डाले गए कुल वोटों से तकरीबन पांच लाख अधिक है। इस समाचार के सामने आते ही लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी थीं। इस समाचार का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जैसे ही यह समाचार उनके संज्ञान में आया तो अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि ईवीएम के अलावा बहुत से लोग डाक मतपत्रों के जरिए भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यह अन्तर पोस्टल बैलेट को न जोड़ने के कारण आ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद संबंधित पोर्टल से उस समाचार को हटा दिया गया लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं की गई इस कारण जो नुकसान होना था वह तो हो गया।

मतदान की समाप्ति के कुछ घण्टों बाद मत प्रतिशत में पांच से आठ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को लेकर उठे सवालों का भी उन्होंने बड़े ही तार्किक ढंग से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि देश में लगभग साढ़े दस लाख मतदेय स्थल (पोलिंग बूथ) होते हैं।